

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 13046/2021

CNR: RJHC010559982021

URN: CW / 23722U / 2021

Ramswroop S/o Shri Laxmanram, Aged About 31 Years, Resident Of Village/post Indergarh, Tehsil Sangaria, District Hanumangarh, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Secretary, Panchayati Raj Department, Government Of Rajasthan, Jaipur.
2. The District Collector, Hanumangarh.
3. The Chief Executive Officer, Jila Parishad, District Hanumangarh.
4. The Development Officer, Panchayat Samiti Sangariya, Hanumangarh.
5. The Sarpanch, Gram Panchayat Indergarh, Panchayat Samiti Sangariya, District Hanumangarh.

----Respondents

Connected With

S.B. Civil Writ Petition No. 11345/2021

CNR: RJHC010493512021

URN: CW / 20532U / 2021

Baljinder Singh S/o Shri Amarjeet Singh, Aged About 38 Years, Resident Of Gram Panchayat Manewala, Panchayat Samiti Suratgarh, District Sriganganagar.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Secretary, Panchayati Raj Department, Government Of Rajasthan.
2. The District Collector, Sriganganagar.
3. The Chief Executive Officer, Jila Parishad, District Sriganganagar.
4. The Development Officer, Panchayat Samiti, Suratgarh.
5. The Sarpanch, Gram Panchayat Mane Wala, Panchayat Samiti Suratgarh, District Sriganganagar.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Sikander Khan, Adv.
Ms. Heena Aman Siddiqui, Adv. for
Mr. Mansoor Ahmed Siddiqui, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Arpit Yoganandi, Adv. for
Mr. Kuldeep Sharma, GC.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS**Judgment / Order****07/07/2026**

उपरोक्त दोनों याचिकाएं समान तथ्यों पर आधारित होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण इस एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का निवेदन है कि याचीगण द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से वर्ष 2014 से 2021 तक अयाची विभाग को सुरक्षाकर्मी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की गयी है, लेकिन अब मौखिक आदेश के माध्यम से उनकी सेवाएं नहीं ली जा रही है, विभाग के विरुद्ध याचीगण को सेवा में निरन्तर रखे जाने बाबत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

विपक्षी विभाग के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याची व विभाग के बीच क्रमशः कर्मचारी व नियोक्ता का कोई संबंध नहीं है, प्लेसमेंट एजेंसी (सेवा प्रदाता एजेंसी) को पक्षकार नहीं बनाया गया है, अंत में दोनों याचिकाएं खारिज किये जाने का निवेदन किया।

इस प्रकरण में यह विवाद रहित है कि अयाची विभाग में याचीगण की सुरक्षाकर्मियों के रूप में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवायी गयी थी। स्पष्ट है कि याची व अयाची विभाग के बीच क्रमशः कर्मचारी व नियोक्ता का कोई संबंध नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2018) 17 SCC 641, K.K. Suresh & Anr. V/s. Food Corporation of India & Ors. के मामले में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि जहां याची की सेवाएं संबंधित

प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करवाई गई है तो ऐसी स्थिति में याची व विभाग के बीच क्रमशः कर्मचारी अथवा नियोक्ता के संबंध स्थापित नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में याची संबंधित विभाग में निरंतर रूप से सेवाएं दिये जाने के संबंध में कोई आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, उपरोक्त निर्णय का पैरा संख्या 07 सुसंगत है जो निम्नानुसार है:—

"7. In the first place, the appellants failed to adduce any evidence to prove existence of any relationship between them and the FCI; Second, when the documents on record showed that the appellants were appointed by the FCI Head Load Workers Co-Operative Society but not by the FCI then obviously the remedy of the appellants, if at all, in relation to their any service dispute was against the said Society being their employer but not against the FCI; Third, the FCI was able to prove with the aid of evidence that the appellants were in the employment of the said Society whereas the appellants were not able to prove with the aid of any documents that they were appointed by the FCI and how and on what basis they claimed to be in the employment of the FCI except to make an averment in the writ petitions in that behalf. It was, in our opinion, not sufficient to grant any relief to the appellants."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि अयाची राजकीय विभाग तथा याचीगण के बीच क्रमशः नियोक्ता व कर्मचारी के संबंध नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अयाची विभाग, याचीगण की सेवाएं निरंतर रूप से लेंगे, इस प्रकार का कोई अनुतोष याचीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

परिणामतः यह दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं। स्थगन आवेदन भी इसी अनुसार निस्तारित किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J